राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

सत्यमेव जयते

भाद्र 30, बुधवार, शाके 1933–सितम्बर 21, 2011
Bhadra 30, Wednesday, Saka 1933–September 21, 2011

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 21, 2011

संख्या प. 2(41) विधि/2/2011:–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हुई, एतदद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 23)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हुई]

लोक प्राधिकारी द्वारा राज्य की जनता को नियत समय-सीमाओं के भीतर-भीतर कतिपय सेवाएं प्रदान करने तथा उनसे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषाएं.**- इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "पदाभिहित अधिकारी" से, धारा 3 के अधीन कोई सेवा प्रदान करने के लिए इस रूप में अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "पात्र व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र है;

(ग) "प्रथम अपील अधिकारी" से ऐसा अधिकारी, जो धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है, अभिप्रेत है;

(घ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ङ) "लोक प्राधिकारी" से राज्य सरकार और इसके विभाग अभिप्रेत हैं और इसमें राज्य विधान-मण्डल द्वारा बनायी गयी किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों से सारतः वित्त पोषित, कोई प्राधिकारी या निकाय या संस्था सम्मिलित हैं;

(च) "सेवा का अधिकार" से, नियत समय-सीमा के भीतर-भीतर धारा 4 के अधीन कोई सेवा प्राप्त करने का अधिकार अभिप्रेत है;

(छ) "द्वितीय अपील प्राधिकारी" से, ऐसा अधिकारी, जो धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है, अभिप्रेत है;

(ज) "सेवा" से, किसी लोक प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जा रही कोई ऐसी सेवा, जिसे धारा 3 के अधीन अधिसूचित किया जाये, अभिप्रेत है;

(झ) "राज्य सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(ञ) "नियत समय-सीमा" से कोई सेवा प्रदान करने के लिए पदाभिहित अधिकारी को, या प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील का विनिश्चय करने के लिए अनुज्ञात, धारा 3 के अधीन यथा अधिसूचित अधिकतम समय-सीमा अभिप्रेत है।

3. सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी और नियत समय-सीमा की अधिसूचना.- राज्य सरकार समय-समय पर उन सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी और नियत समय-सीमाओं को अधिसूचित कर सकेगी जिनको और जिन पर यह अधिनियम लागू होगा।

4. नियत समय-सीमा के भीतर-भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार.- (1) पदाभिहित अधिकारी धारा 3 के अधीन अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को, नियत समय-सीमा के भीतर-भीतर ऐसी सेवा प्रदान करेगा।

(2) पदाभिहित अधिकारी ऐसे किसी भी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की सहायता की अपेक्षा कर सकेगा, जिसे वह उप-धारा (1) के अधीन अपने कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(3) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, जिसकी सेवाओं की उप-धारा (2) के अधीन अपेक्षा की गयी है, उसकी सेवाओं की अपेक्षा करने वाले पदाभिहित अधिकारी की पूरी सहायता करेगा और ऐसा अन्य अधिकारी या, यथास्थिति, कर्मचारी इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों के किसी भी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए पदाभिहित अधिकारी समझा जायेगा।

5. नियत समय-सीमा में कोई सेवा प्रदान कराना.-(1) नियत समय-सीमा, अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए अपेक्षित आवेदन, पदाभिहित अधिकारी या आवेदन प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत अधीनस्थ व्यक्ति को, प्रस्तुत करने की तारीख से प्रारंभ होगी। ऐसे किसी आवेदन की सम्यक् रूप से अभिस्वीकृति दी जायेगी।

(2) पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर नियत समय-सीमा के भीतर-भीतर या तो उक्त सेवा प्रदान करेगा या आवेदन को नामंजूर करेगा और आवेदन नामंजूर करने के मामले में, कारणों को लेखबद्ध करेगा और आवेदक को सूचित करेगा।

6. अपील.- (1) कोई व्यक्ति, जिसका आवेदन धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन नामंजूर कर दिया जाता है या जिसे नियत समय-सीमा में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है, आवेदन के नामंजूर होने या

नियत समय-सीमा की समाप्ति होने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा:

परन्तु प्रथम अपील अधिकारी तीस दिवस की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर-भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रविरत रहा था।

(2) प्रथम अपील अधिकारी उस पदाभिहित अधिकारी को विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील को नामंजूर कर सकेगा।

(3) प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे विनिश्चय की तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर द्वितीय अपील प्राधिकारी को द्वितीय अपील की जा सकेगी:

परन्तु द्वितीय अपील प्राधिकारी, साठ दिवस की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर-भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रविरत रहा था।

(4) (क) द्वितीय अपील प्राधिकारी, ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर, जैसी कि वह विनिर्दिष्ट करे, उस पदाभिहित अधिकारी को सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील को नामंजूर कर सकेगा।

(ख) द्वितीय अपील प्राधिकारी, सेवा प्रदान करने के आदेश के साथ-साथ धारा 7 के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(5) (क)यदि पदाभिहित अधिकारी धारा 5 की उप-धारा (1) के उपबंधों का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक प्रथम अपील अधिकारी को सीधे ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। इस आवेदन का निपटारा प्रथम अपील की रीति से किया जायेगा।

(ख) यदि पदाभिहित अधिकारी, धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन सेवा प्रदान करने के आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक द्वितीय अपील प्राधिकारी को सीधे ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। इस आवेदन का निपटारा द्वितीय अपील की रीति से किया जायेगा।

(6) इस धारा के अधीन अपील का विनिश्चय करते समय प्रथम अपील अधिकारी और द्वितीय अपील प्राधिकारी को निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :-

(क) दस्तावेजों के पेश किये जाने और निरीक्षण की अपेक्षा करना;

(ख) पदाभिहित अधिकारी और अपीलार्थी को सुनवाई के लिए समन जारी करना; और

(ग) ऐसा कोई भी अन्य विषय, जो विहित किया जाये।

7. शास्ति.-(1) (क) जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय हो कि पदाभिहित अधिकारी कोई सेवा प्रदान करने में पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण के बिना विफल रहा है तो वह ऐसी एकमुश्त राशि की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो पांच सौ रुपये से कम और पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी;

(ख) जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय हो कि पदाभिहित अधिकारी ने सेवा प्रदान करने में पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण के बिना विलंब किया है तो वह ऐसे विलंब के लिए पदाभिहित अधिकारी पर दो सौ पचास रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

(ग) खण्ड (क) या (ख) के अधीन द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति पदाभिहित अधिकारी के वेतन से वसूलीय होगी :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई भी शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व उस व्यक्ति को, जिस पर शास्ति अधिरोपित की जानी प्रस्तावित है, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

(2) जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय हो कि प्रथम अपील अधिकारी पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण बतलाये बिना, नियत समय-सीमा के भीतर-भीतर किसी अपील का विनिश्चय करने में विफल रहा है तो वह प्रथम अपील अधिकारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो पांच सौ रुपये से कम और पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी:

परन्तु प्रथम अपील अधिकारी को, उस पर शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

(3) द्वितीय अपील प्राधिकारी यह आदेश भी दे सकेगा कि उप-धारा (1) या (2) या, यथास्थिति, दोनों के अधीन अधिरोपित शास्ति में से ऐसी रकम, जो इस प्रकार अधिरोपित शास्ति से अधिक नहीं होगी, अपीलार्थी को प्रतिकर के रूप में दी जाये।

(4) द्वितीय अपील प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पदाभिहित अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण बतलाये बिना, इस अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा है तो वह उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा।

8. पुनरीक्षण.- इस अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में द्वितीय अपील प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित पदाभिहित अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी, उस आदेश की तारीख से साठ दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर पुनरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा। नामनिर्दिष्ट अधिकारी विहित प्रक्रिया के अनुसार उस आवेदन का निपटारा करेगा:

परन्तु राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी ऐसे आवेदन को साठ दिवस की उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त आवेदन पर्याप्त कारण से समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका था।

9. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी।

10. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि

के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

11. कठिनाइयों का निराकरण.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा कोई भी ऐसी कार्रवाई कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(Group-II)
NOTIFICATION
Jaipur, September 21, 2011

No. F. 2(41) Vidhi/2/2011.–In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan